न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत,** (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 343/2025

प्रार्थीगण :-

1. अहमद खां पुत्र स्व. गफूर खां
2. आमदीन खां पुत्र स्व. गफूर खां
3. गोरी पुत्री स्व. गफूर खां
4. जहूद खां पुत्र स्व. गफूर खां
5. बचीरा पुत्री स्व. गफूर
6. भीरी पुत्री स्व. गफूर खां
7. सलमू पुत्री स्व. गफूर खां
8. हज्जु पुत्री स्व. गफूर खां
9. हबीब खां पुत्र स्व. गफूर खां जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण ग्राम सिन्धीनगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसील बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण - श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 1- सरकारी पैरोकार

<u>निर्णय</u> दिनांक :- 09/03/26

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम औलवी, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 222 रकबा 4.8136 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है। जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार 575 है। खसरा संख्या 222 की चालु जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता गफूर खां पुत्र ईमानखां का 1/4 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता व दादा का जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2022 में दर्ज इन्द्राज अनुसार गफूर खां पुत्र ईमाम खां नाम दर्ज था। जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 की खतौनी के समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता का नाम गफूर खां के स्थान पर गफरू खा दर्ज कर दिया तथा जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 की खतौनी के समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता का नाम गफूर खां के स्थान पर गबरू खां दर्ज कर दिया तथा चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खतौनी के समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता का नाम गफूर खां के स्थान पर गबरू खां व प्रार्थीगण के दादा का नाम ईमाम खां के स्थान पर ईमान खां दर्ज कर दिया। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2022 के बाद की उपरोक्त जमाबन्दी की खतौनी के समय लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थीगण नाम गफूर खां के स्थान पर गबरू खां व प्रार्थीगण के पिबम, दादा का नाम ईमाम खां के स्थान पर ईमान खां दर्ज किया गया। जो हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज किया गया। प्रार्थीगण के पिता गफूर खां पुत्र ईमाम खां का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2024 को हो चुका है तथा

प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता गफूर खां का फौतेदगी म्यूटेशन हेतु हल्का पटवारी ग्राम सिन्धीनगर से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व प्रार्थीगण द्वारा उनके पिता गफूर खां के मृत्यु प्रमाण पत्र को देखकर बताया कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम गबरू खां व दादा का नाम ईमान खां दर्ज है, जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र में प्रार्थीगण के पिता का नाम गफूर खां व दादा का नाम ईमाम खां दर्ज है। इसलिए उपरोक्त दोनो इन्द्राज एक समान नही होने से प्रार्थीगण के पिता गफूर खां का फौतेदगी म्यूटेशन प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही किया जा सकता। हल्का पटवारी ग्राम सिन्धीनगर द्वारा राजस्व रेकर्ड के सम्बंध में लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज उपरोक्त इन्द्राज की जानकारी देने पर प्रार्थीगण को उपरोक्त लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज उपरोक्त इन्द्राज की प्रथम बार जानकारी हुई, तब प्रार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज उपरोक्त अशुद्ध इन्द्राज को शुद्ध किये जाने हेतु अप्रार्थी को निवेदन किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु अप्रार्थी सक्षम नही है अपितु श्रीमान सक्षम है। इसलिए चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज गबरू खाँ पुत्र `पवदमत वींपिबम ठींतखाँ हिस्सा 1/4 जाति सिंधी मुसलमान, सा. सिन्धीनगर खातेदार के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2022 में दर्ज शुद्ध इन्द्राज गफूर खां पुत्र इमाम खां हिस्सा 1/4 जाति सिंधी मुसलमान सा. सिन्धीनगर खातेदार के अनुसार शुद्ध किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। ग्राम सिन्धीनगर तहसील बिलाडा की सीमा में प्रार्थीगण के पिता गफूर खां पुत्र इमाम की शामलाती भूमि खसरा संख्या 502, 543, 543/1,598, 598/1 थी, जिसमें प्रार्थीगण के पिता का 1/4 व० हिस्सा दर्ज था तथा प्रार्थीगण के पिता गफूर खां फौत होने पर उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थीगण के पिता व दादा का शुद्ध इन्द्राज होने से प्रार्थीगण के नाम फौतेदगी म्यूटेशन स्वीकृत होकर प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया जा चुका है। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम गफूर खां व दादा का सही नाम इमाम खां है। इस आधार पर भी प्रार्थीगण खसरा संख्या 222 की चालु जमाबन्दी में हल्का पटवारी द्वारा की गयी लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के पिता के नाम जारी परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड, परिचय पत्र, जनआधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि में भी प्रार्थीगण के पिता का सही नाम गफूर खां व प्रार्थीगण के दादा का सही नाम इमाम खां दर्ज है। इस आधार पर भी प्रार्थीगण खसरा संख्या 222 की चालु जमाबन्दी में हल्का पटवारी द्वारा की गयी लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध करवाने के अधिकारी है। उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध किये जाने से उपरोक्त की भूमि की चालू जमाबन्दी के दर्ज अन्य सहखातेदार के हक व अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ेगा वन ही उनके दर्ज हक व अधिकार प्रभावित होंगे। इसलिए उपरोक्त खसरा की चालु जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारों को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार नही होने से उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम ओलवी, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 222 रकबा 4.

8136 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज गबरू खाँ पुत्र ईमान खाँ हिस्सा 1/4 जाति सिंधी मुसलमान, सा. सिन्धीनगर खातेदार के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2022 में दर्ज शुद्ध इन्द्राज गफूर खां पुत्र इमाम खां हिस्सा 1/4 जाति सिंधी मुसलमान, सा. सिन्धीनगर खातेदार शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावे तथा आदेशानुसार शुद्धि का नामान्तरण दर्ज किये जाने हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 222 रकबा 4.8136 हैक्ट किस्म बारानी प्रथम की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 में प्रार्थीगण के पिता गफूरखां पुत्र ईमानखां का 1/4 हि दर्ज हैं। प्रार्थी के पिता व दादा का जमान्दी सम्वत 2019 से 2022 में दर्ज इन्द्राज अनुसार गफुरखां पुत्र ईमामखां नाम दर्ज था। जमाबन्दी सम्वत 2023 से 2026 की खतौनी के समय तत्कालीन पटवारी द्वारा लिपिकीय ऋटिवंश प्रार्थीगण के पिता का नाम गफूरखां के स्थान पर गफरूखां दर्ज कर दिया तथा जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2055 की खतौनी के समय तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवंश प्रार्थीगण के पिता का नाम गफुरखां के स्थान पर गबरूखां दर्ज कर दिया तथा वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 की खतौनी के समय भी तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवंश प्रार्थी के पिता नाम गफुरखां के स्थान पर गबरूखां व प्रार्थीगण के दादा का नाम ईमामखां के स्थान पर ईमाम खां दर्ज कर दिया। ग्राम ओलवी की जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2019 से 2022 के बाद की उपरोक्त जमाबन्दी खतौनी के समय लिपिकीय त्रुटिवंश प्रार्थीगण के दादा का नाम ईमामखां के स्थान पर ईमानखां दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी के पिता गफुरखां पुत्र ईमाम खां का स्वर्गवास पेश मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 27.02.2024 को हो चुका है। ग्राम ओलवी की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 में तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज गबरूखां पुत्र ईमामखां 1/4 हि. जाति सिन्धी मुसलमान सा. सिन्धीनगर खातेदार के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 में दर्ज इन्द्राज गफुरखां पुत्र इमामखां 1/4 हि. जाति सिन्धी मुसलमान सा. सिन्धीनगर खातेदार के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थीगण के पिता के नाम जारी परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड, परिचय पत्र, जनआधार कार्ड मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादी में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम गफुरखां व प्रार्थीगण के दादा का सही नाम इमामखां दर्ज हैं।

अतः जवाब पेश कर निवेदन हैं कि हल्का पटवारी ओलवी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम. ओलवी तहसील बिलाड़ा में स्थित खसरा संख्या 222 रकबा 4.8136 हैक. किस्म बारानी प्रथम के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सवम्त 2076 से 2079 में लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज अशुद्ध

इन्द्राज गबरूखां पुत्र इमामखां 1/4 हि. जाति सिन्धी के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 में दर्ज शुद्ध इन्द्राज गफूरखां पुत्र इमामखां 1/4 हि. राजस्व रेकार्ड में शुद्ध किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नहीं हैं।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मृत्यु प्रमाण पत्र गफुर खां, गफूर खां परिवार राशन कार्ड, गफूर खां आधार कार्ड, गफूर खां पहचान पत्र, जनआधार कार्ड गफूर खां, अहमद खां पुत्र गफूर खां का आधार कार्ड आदि पेश किये जिसमें वादी के पिता का नाम गफूर खां अंकित है। इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत् 2075-2078 के खसरा नंबर 502, 503, 543/1 में गफूर खां पुत्र इमाम खां के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला 2076 से 2079 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थीगण के पिता का नाम गफूर खां पुत्र ईमाम खां के स्थान पर गलत नाम गबरू खां पुत्र ईमान खां दर्ज कर दी गई। तहसीलदार बिलाडा द्वारा उपरोक्त शुद्धि हेतु सहमति प्रदान की है। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 222 रकबा 4.8136 हेक्टयर में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी के पिता का नाम गबरू खां पुत्र ईमान खां के स्थान पर सही नाम गफूर खां पुत्र ईमाम खां नाम दर्ज किये जाये एवं तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 09/03/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा